रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2014, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1935
No. 3] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2014, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय (वर्ग 4 औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1974 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद (अभिलेखपाल, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, लशकर और सफाईवाला) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद (अभिलेखा-पाल, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, लशकर और सफाईवाला) दफ्तरी, चपरासी	64* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन विंग (आयुध), खमारिया —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या संबंधित स्थापन से समतुल्य स्तर का अधिकारी —सदस्य 3. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I या किसी अन्य रक्षा स्थापन से समतुल्य स्तर का अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 2523/आर.आर एस./एम.टी.एस./डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 13th February, 2014

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation (Class IV Non-Industrial posts) Recruitment Rules 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (Group 'C') Non-gazetted, Non-ministerial posts (Record Keeper, Daftry, Peon, Watchman, Lascar, Safaiwala) in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance under the Department of Defence Production under the Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed in these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking (Record Keeper, Daftry, Peon, Watchman, Lascar and Safaiwala)	64* (2014) *(Subject to variation dependent upon workload).	General Central Services, Group 'C' (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, ₹5200—20200 plus grade pay of ₹1800	Not applicable	Betwen 18 and 25 years. **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in parts of India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or the Lakshadweep).

	(6)
	Note 2 : In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date, which the Employment Exchange is asked to forward the names of candidates.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation from a recognised Board or equivalent.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by Promotion or by Deputation or Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion or Deputation or Absorption, grades from which Promotion or Deputation or Absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Chairman 2. Senior Scientific Officer Grade I or equivalent level from the respective establishment —Member 3. Senior Scientific Officer Grade I or equivalent level from any other Defence establishment —Member	Not applicable.

[F. No. 2523/RRs/MTS/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.नि.आ. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (बहुकार्य कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2014, में,–

   (अ) नियम 2 में,"वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" दोनो स्थान पर आने वाले शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।

   (आ) अनुसूची में,–

   (क) स्तंभ(1) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात:-

   "बहुकार्य कर्मचारीवृंद (अभिलेखपाल, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, लश्कर और सफाईवाला)";

   (ख) स्तंभ (04) में,-

   (i) शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स मे स्तर" शीर्षक रखा जाएगा;

   (ii) प्रविष्टि के स्थान पर "स्तर-1 (18,000-56,900रु)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. -2523/आर.आर/एम.टी.एस./डीजीएक्यूए/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में तारीख 22 फरवरी, 2014 को का.नि.आ.12, तारीख 13 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 5th September, 2017

S.R.O.72.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' posts (Multi Tasking Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014,-

A. in rule 2, for the words " pay band and grade pay or pay scale" occurring at both the places, the words " the level in the pay matrix" shall be substituted.

B. in the Schedule ,-

(a) in column (1), for the entry the following entry shall be substituted, namely:-

"Multi Tasking Staff (Record Keeper, Daftry, Peon, Watchman, Lascar and Safaiwala)";

(b) in column (4),-

(i) for the heading, heading "Level in the pay matrix"shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Level -1 (Rs 18000-56900)"

shall be substituted.

[F. No.2523/RRs/MTS/DGAQA/ADM- II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II Section 4, dated 22 Feb 2014, vide S.R.O-12 dated 13 Feb 2014.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2017

का.नि.आ.73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक विधि सहायक भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में विधि सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन (विधि सहायक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: